संख्या- 7 /2019/ 1089/अड़तीस-5-2019-8 बजट/2018 टी0सी0-iv

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 29 मई, 2019

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि से अवशेष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 64/ ई-2/ 2019-20, दिनांक 09 अप्रैल, 2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अनुदान संख्या-13 के अनतर्गत कुल रू0 46117.20 लाख की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। उक्त प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अब तक अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश में से राज्यांश के रूप में रू 39718.160 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश में से अवशेष राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि में से अनुदान संख्या- 13 के अन्तर्गत अवशेष राज्यांश के रूप में रू0 279.808 लाख (रूपये दो करोड. उन्यासी लाख अस्सी हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान संख्या	मद	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि	केन्द्राश एवं उसके सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की कुल धनराशि	राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि			अवमुक्त की जा रही धनराशि		
					केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश (4–7)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	कवरेज (नार्मल)	30606.970	29586.738	60193.708	30606.970	29306.930	59913.900	0.000	279.808	279.808
	सपोर्ट							0.000	0.000	0.000
	डब्लू क्यू0 एम0 एण्ड एस0							0.000	0.000	0.000
		30606.970	29586.738	60193.708	30606.970	29306.930	59913.900	0.0	279.808	279.808

(रूपये दो करोड उन्यासी लाख अस्सी हजार आठ सौ मात्र)

(I) आंकडों की शुद्धता व विभिन्न घटकों में भारत सरकार के निर्देशानुसार धनराशि के आहरण/ व्यय के अनुपालन का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किये जाने वाला व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(III) कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा पूर्व में सपोर्ट एवं डब्लू0क्यू0एम0एण्ड एस0 मद में विभिन्न अनुदानों अन्तर्गत जारी धनराशि के निर्धारित अनुमन्यता स्तर तक समायोजन के बारे में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्वस्तर से संतुष्ट होंगे।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व वित्तीय

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया / व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(VI) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/ उपयोग में भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(VII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(VIII) धनराशि आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(IX) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019 बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही / अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(X) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन / भारत सरकार तथा महालेखाकार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वितीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-013 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति- 02-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0 डब्लू0 पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0 ई-2- 351 /दस-2019 दिनांक 03 मई, 2019 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अच्छे लाल सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्याः 7 /2019/ 1087 (1)/अड़तीस-5-2019-8 बजट/2018 टी0सी0-iv, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अनु सचिव (वाटर), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, चतुर्थ तल पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड़, नई दिल्ली को उनके स्वीकृति आदेश संख्या-डब्लू-11020/3/2018-वाटर-1, दिनांक 08 मई, 2018, आदेश संख्या-डब्लू-11020/3/2018-वाटर-1, दिनांक 07 मई, 2018 एवं आदेश संख्या-डब्लू.क्यू.-11020/196/2015-वाटर-1/44, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के क्रम में।

(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।

(8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।

(10) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(11) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अच्छे लाल सिंह यादव)
विशेष सचिव।